

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2023/497

दिनांक:- 14-07-2023

संशोधन आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार ठठेरा, कनि0 लेखाकार के 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर विभागीय आदेश संख्या 618 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे। तत्समय श्री ठठेरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक 400-403 दिनांक 29.08.2018 द्वारा जारी आरोप पत्र में विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था।

अब विभागीय आदेश क्रमांक 938-941 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा श्री ठठेरा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जा चुका है। अतः विभागीय पूर्व आदेश दिनांक 24.08.2022 के विशेष विवरण कॉलम में अंकित टिप्पणी एवं आदेश में अंकित नोट को विलोपित करते हुए, प्रमाणित किया जाता है कि:-

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

पूर्व आदेश दिनांक 24.08.2022 का शेष भाग यथावत् है।


(भूपेश माथुर)

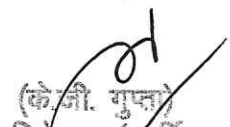
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2023/497

दिनांक:- 14-07-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कनि0 लेखाकार को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/III) कार्यालय हाजा।
8. डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)